<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2 बून्दी (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 113/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या : 428/2025 थाना-हिण्डोली, जिला-बून्दी
सेशन प्रकरण सं. 52/2026
राज्य/मोती लाल

मोती लाल पुत्र बद्री लाल,
निवासी-ग्राम जड़ का नयागांव, पुलिस थाना-हिण्डोली, जिला-बून्दी (राज0)
-प्रार्थी/अभियुक्त.

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य

<u>जमानत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-439 दं.प्र.सं. (483 भा.ना.सु.सं)</u>

उपस्थित-
(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अधिवक्ता - प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से।
(2) अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

दिनांक : 10 मार्च, 2026.

<u>आ दे श</u>

1. प्रार्थी-अभियुक्त मोतीलाल की ओर से धारा-439 दं.प्र.सं. (483 भा.ना.सु.सं) के अधीन जमानत का **द्वितीय** आवेदन-पत्र प्रकट करते हुये इस आवेदन-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं करना अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया है, जो इस न्यायालय के सेशन प्रकरण संख्या 52/2026 बउनवान राज्य विरुद्ध मोती लाल से संबंधित है।

2. प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. श्रीमान् सेशन न्यायाधीश, बून्दी द्वारा दिनांक 03.01.2026 को निरस्त किया जा चुका है। जमानत आवेदन-पत्र की प्रति अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। जमानत आवेदन-पत्र पर बहस सुनी एवं सम्बद्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुरूप दिनांक 10.10.2025 को परिवादिनी इन्द्रा बाई द्वारा पुलिस थाना, हिण्डोली में एक टंकित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 02.09.2025 को उसके पति गिरिराज के साथ प्रार्थी / अभियुक्त मोतीलाल द्वारा चाकू से बुरी तरह से मारपीट कर गम्भीर घायल कर दिया गया था। दिनांक 03.09.2025, 04.09.2025 एवं दिनांक 26.09.2025 को उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने की रिपोर्ट उसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अभियुक्त के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। कल दिनांक 09.10.2025 को सुबह करीब 7.30 बजे से ही अभियुक्त मोतीलाल अपने हाथ में चाकू छुरा लेकर आया और उसके एवं उसके पति के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो रहा है। अभियुक्त उसके साथ कभी भी गम्भीर मारपीट कर सकता है। अभियुक्त शाम करीब 7-8 बजे शराब के नशे में धुत होकर गाली-गलौच करता हुआ उसके घर पर आ गया, उसने अपने घर का गेट बन्द कर अपनी एवं अपने पति की अभियुक्त से जान बचाई,

नहीं तो अभियुक्त उसे व उसके पति को जान से खत्म कर देता। अभियुक्त पूर्व में भी उसके पति को चाकू मारकर गम्भीर घटना घटित कर चुका है। वह, उसको भी कई बार गाली-गलौच कर मारने की धमकियां दे चुका है। इस रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग अन्तर्गत 115 (2) व 333 भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधान के दौरान इस मामले में धारा-109 (2) भा.न्या.सं. का अपराध और संयोजित किया गया। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का दौराने बहस मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त विगत दो माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में अभी समय लगने की संभावना है। प्रार्थी-अभियुक्त नेकचलन एवं सदचरित्र व्यक्ति है, न्यायिक अभिरक्षा में रहने से चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

5. अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी के साथ गम्भीर मारपीट कर उसके पेट में चाकू जैसे धारदार हथियार से गम्भीर प्रकृति की चोटें कारित की है। प्रकरण की परिस्थतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने मात्र से ही प्रकरण की परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान नहीं की जाये। प्रार्थी-अभियुक्त के आपराधिक के रिकार्ड अनुसार उसके विरूद्ध निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है -

क्र.सं.	मुक. सं.	थाना	धारा	गिरफ्तारी की दिनांक	विवरण
1	95/2006	हिण्डोली, बून्दी	341, 323 भा.दं.सं.	-	-
2	71/2014	बसोली, बून्दी	279,337,338 भा.दं.सं.	-	-
3	54/2015	हिण्डोली, बून्दी	4/25 आयुध अधिनियम	-	-
4	197/2006	हिण्डोली, बून्दी	16/54 आबकारी अधिनियम	-	-

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित हुआ है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 333, 109(2), 352 व 118(2) भारतीय न्याय सहिंता के अपराधों का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का आरोप पत्र पूर्व पेश प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बी.एन.एस. खारिज किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है तथा पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान से भी प्रार्थी के विरुद्ध मामला बनना पाया है और प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शित होता है कि अनुसंधान में भी अपराध की पुष्टि हुई है। प्रकरण में केवलमात्र आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारभूत परिवर्तन होना दर्शित नहीं होता है। प्रार्थी-अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं।

ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई मत व्यक्त किये, समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. फलतः प्रार्थी-अभियुक्त मोती लाल की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-483 भा.ना.सु.सं एतद्नुसार अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)